संख्या-139/2018/1083/22-4-18-48(71)/18

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 25 सितम्बर, 2018

विषय-प्रदेश की कारागारों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु इण्टरकॉम इकाईयों की स्थापना के लिए प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29509/आधु0-1/इण्टरकॉम/2018 दिनांक 16.08.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की 54 कारागारों में आंतरिक संचार व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु इण्टरकॉम इकाईयों का क्रय/स्थापना जैम पोर्टल के माध्यम से एंव जैम पोर्टल पर इसकी उपलब्धता न होने पर ई-टेण्डर के माध्यम से कराये जाने हेतु रू0 98.49 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु शतप्रतिशत धनराशि 98,49,000 (रूपया अट्ठान्नवे लाख उन्चास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्नक विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) इण्टरकॉम इकाईयों का क्रय/स्थापना सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय के अनुसार किया जायेगा।

(2) उपकरणों का क्रय करते समय क्रय संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(3) उक्त उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(4) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(6) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र" मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक के अन्तगऐर्त उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 30.03.2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव

संख्या-139/2018/1083(1)/22-4-18-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-139/2018/1083/22-4-18-48(71)/17, दिनांक-25.09.2018 का संलग्नक-1

क्र0	कारागार का नाम	प्रस्तावित यूनिट/लाइन	दर प्रति यूनिट			कुल वित्तीय व्यय भार
			32/24/16 लाइन की ईपीबीएक्स मशीन (टेलीफोन सेट कन्सोल सहित)	यूपीएस	कन्सील्ड/कन्डू यड केबलिंग व स्थापना व्यय	
1	के0का0 आगरा	32 लाइन	91000	4800	118000	213800
2	के0का0 बरेली	32 लाइन	91000	4800	118000	213800
3	के0 का0 फतेहगढ़	32 लाइन	91000	4800	118000	213800
4	जि0का0 मेरठ	32 लाइन	91000	4800	118000	213800
5	जि0का0 बुलन्दशहर	32 लाइन	91000	4800	118000	213800
6	जि0का0 मुजफ्फरनगर	32 लाइन	91000	4800	118000	213800
7	जि0का0 वाराणसी	32 लाइन	91000	4800	118000	213800
8	जि0का0 मुरादाबाद	32 लाइन	91000	4800	118000	213800
9	जि0का0 लखनऊ	32 लाइन	91000	4800	118000	213800
10	जि0का0 फिरोजाबाद	32 लाइन	91000	4800	118000	213800
11	जि0का0 सहारनपुर	32 लाइन	91000	4800	118000	213800
12	जि0का0 उन्नाव	32 लाइन	91000	4800	118000	213800
13	जि0का0 खीरी	32 लाइन	91000	4800	118000	213800
14	जि0का0 हरदोई	32 लाइन	91000	4800	118000	213800
15	जि0का0 एटा	32 लाइन	91000	4800	118000	213800
16	जि0का0 रायबरेली	32 लाइन	91000	4800	118000	213800
17	जि0का0 सीतापुर	32 लाइन	91000	4800	118000	213800
18	जि0का0 गोरखपुर	32 लाइन	91000	4800	118000	213800
19	जि0का0 फैजाबाद	32 लाइन	91000	4800	118000	213800
20	जि0का0 बाराबंकी	32 लाइन	91000	4800	118000	213800
21	जि0का0 सुल्तानपुर	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
22	जि0का0 गोण्डा	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
23	जि0का0 बदायूँ	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
24	जि0का0 रामपुर	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
25	जि0का0 बिजनौर	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
26	जि0का0 पीलीभीत	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
27	जि0का0 शाहजहाँपुर	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
28	जि0का0 कानपुर देहात	24 लाइन	76000	4800	94000	174800

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

29	जि0का0 फतेहगढ़	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
30	जि0का0 मथुरा	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
31	जि0का0 मिर्जापुर	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
32	जि0का0 जौनपुर	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
33	जि0का0 गाजीपुर	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
34	जि0का0 सोनभद्र	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
35	जि0का0 मैनपुरी	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
36	जि0का0 कन्नौज	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
37	जि0का0 उरई	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
38	जि0का0 प्रतापगढ़	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
39	जि0का0 फतेहपुर	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
40	जि0का0 कौशाम्बी	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
41	जि0का0 देवरिया	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
42	जि0का0 महराजगंज	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
43	जि0का0 सिद्धार्थनगर	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
44	आ0का0 लखनऊ	24 लाइन	76000	4800	94000	174800
45	जि0का0 ललितपुर	16 लाइन	61000	4800	72000	137800
46	जि0का0 हमीरपुर	16 लाइन	61000	4800	72000	137800
47	नारी बंदी निकेतन लखनऊ	16 लाइन	61000	4800	72000	137800
48	जि0का मऊ	16 लाइन	61000	4800	72000	137800
49	जि0का0 बस्ती	16 लाइन	61000	4800	72000	137800
50	जि0का0 बहराइच	16 लाइन	61000	4800	72000	137800
51	जि0का0 बलरामपुर	16 लाइन	61000	4800	72000	137800
52	जि0का0 ज्ञानपुर	16 लाइन	61000	4800	72000	137800
53	जि0का0 देवबन्द	16 लाइन	61000	4800	72000	137800
54	उप का0 महोबा	16 लाइन	61000	4800	72000	137800
	योग-	54 यूनिट	4254000	259200	5336000	9849200 अर्थात रू0 98.49 लाख

(अर्थात रूपया अठ्ठानवे लाख उन्चास हजार मात्र)

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in